

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई  
जन स्वास्थ्य विभाग  
एन.आई.टी.

कार्य का नाम :- स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां हेतु वॉल पैट, स्लोगन एवं चित्र बनाने का  
कार्य के संबंध में।

क्र.	कार्य का विवरण	संख्या	प्रति सर्वेयर फीट	कुल राशि
1	वॉल पैट, स्लोगन लिखायी कार्य	5000 सर्वेयर फीट		
2	वॉल पैट, स्लोगन एवं चित्र बनाने सहित कार्य	8000 सर्वेयर फीट		
3	111 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय में वॉल पैट, स्लोगन एवं चित्र बनाने का कार्य प्रति शौचालय 180 सर्वेयर फीट	19980 सर्वेयर फीट		

संलग्न :- नियम शर्त

कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

## कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रचार-प्रसार के लिए  
वॉल पैटिंग, वित्र एवं स्लोगन हेतु नियम शर्त :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. निविदादाता को उक्त कार्य के संबंध में अपना अनुभव एवं इस प्रकार के किये गये कार्य का फोटो ग्राफ़स आदि प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदादाता को उक्त कार्य ऑफियल पैट से करना होगा।
4. निविदादाता को सामग्री सहित दर प्रति स्केयर फिट में देना होगा।
5. निविदादाता को पृथक-पृथक कार्य का दर अलग-अलग देना होगा।  
ए. वॉल पैट एवं स्लोगन लिखायी कार्य –  
बी. वॉल पैट, स्लोगन एवं वित्र बनाने सहित कार्य –
6. निगम द्वारा उक्त कार्य सभी जोन में कराया जावेगा, इसलिए निविदादाता को प्रत्येक जोन में अलग-अलग पैटर के माध्यम से करना होगा।
7. निविदादाता के कार्य की गुणवत्ता असांतोष जनक होने पर पुनः सुधार कर पैटिंग कार्य करना होगा।
8. निविदादाता स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित स्लोगन एवं वित्र आदि का प्रारूप निगम से दिया जावेगा। यदि निविदादाता के डिजाईन अच्छे होने की स्थिति में उस डिजाईन के भी वॉल पैटिंग कार्य कराये जायेंगे।
9. निविदादाता को नगद भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होगा। किये गये कार्य का देयक प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदादाता को निविदा के समय रु. 15,680.00 का एफ.डी.आर. जमा करना होगा।
11. धरोहर राशि राष्ट्रीयकृत थैंक से आयुक्त के नाम पर एफ.डी.आर. लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना होगा तथा निविदा दर लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा, उक्त दोनों लिफाफा दस्तावेज सहीत बड़ा लिफाफा "ग" में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा दर नहीं खोला जायेगा।
12. अनुबंधित एजेंसी के द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरांत भुगतान किया जावेगा।
13. उक्त कार्य हेतु दर दो वर्ष तक के लिये लागू होगी। समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यूनतम दरदाता से उक्त कार्य कराया जावेगा। समयावधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई